<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 181 / 16

संस्थापन दिनांक : 12.04.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र. — अभियोजन

बनाम

1—महेशसिंह पुत्र अजबसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष 2—बंटी उर्फ इन्दलसिंह पुत्र अजबसिंह गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासीगण ग्राम कैथोदा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 504, 323/34, के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 28.03.16 को 10:00 बजे फरियादी बिट्टोबाई अ0सा01 के घूरे के पास ग्राम कैथोदा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर बिट्टोबाई अ0सा01 की हंसिये से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.16 को दिन के 10:00 बजे फरियादी बिट्टोबाई अ0सा01 अपना घूरा साफ कर रही थी तो आरोपी महेश व बंटी उर्फ इन्दल ने आकर बिट्टोबाई अ0सा01 से कहा कि घूरा सामिलाती है घूरा साफ मत करो। इसी बात पर आरोपी महेश ने बिट्टोबाई अ0सा01 को दाहिने हाथ पर डण्डा मारा जिससे मूंदी चोट आई तथा आरोपी बंटी ने बिट्टोबाई अ0सा01 की पीठ में पीछे हंसिया मारा जिससे खून निकल आया तथा हंसिया का बट फिर मारा जो बिट्टोबाई अ0सा01 के बांये पैर की पिंडली में लगा जिससे खून निकल आया तथा आरोपीगण बिट्टोबाई अ0सा01 से गाली

गलौच कर रहे थे जब उसकी बहू लक्ष्मी बचाने आई तो उसके हाथ में भी बंटी व महेश ने डण्डे से हाथ में चोट पहुंचाई। तत्पश्चात फरियादी बिट्टोबाई अ०सा०१ ने थाना एण्डोरी में अदम चैक प्र०पी—1 दर्ज कराई जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अप०क० 31/16 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.03.16 को 10:00 बजे फरियादी बिट्टोबाई अ0सा01 के घूरे के पास ग्राम कैथोदा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर बिट्टोबाई अ0सा01 की हंसिये से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- बिट्टोबाई अ0सा01 ने कथन किया है कि एक वर्ष पूर्व मार्च के माह में वह घूरा साफ कर रही थी तब हिस्सा बांट की बात पर आरोपीगण से झगड़ा और मुंहवाद हो गया था और जब वह दौड़कर जा रही थी तब वह गिर गयी जिससे उसे चोट आई। फिर उसने थाना एण्डोरी जाकर रिपोर्ट प्र0पी—1 लिखाई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि बंटी ने घटना में उसके पीठ में हंसिया मारा था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—2 और रिपोर्ट प्र0पी—1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- 6. प्रकरण में बिट्टो अ०सा०१ आहत व फरियादी होकर महत्वपूर्ण साक्षी है परन्तु प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे हंसिये से चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में बिट्टो अ०सा०१ को हंसिये से स्वेच्छा उपहित कारित की।
- 7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 8. आरोपीगण के मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0